भारत संघ व अन्य

बनाम

राम सिंह ठाकुर व अन्य

(सिविल अपील संख्या- 200/2007)

14 जुलाई, 2011

[मार्कंडेय काटजू और चंद्रमौली केआर प्रसाद, न्यायाधीशगण]

सेवा विधि:

रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारी - केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अन्य सहकारी समितियों के दावेदारों और कर्मचारियों को नियमित समूह 'डी' पदों पर और वैकल्पिक रूप से रेलवे में आकस्मिक समूह 'डी' कर्मचारियों के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया - उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश को बरकरार रखा गया : अभिनिर्धारित: सेवा में नियमितीकरण के संबंध में निर्देश विशुद्ध रूप से कार्यपालिका का कार्य है और ऐसा निर्देश न्यायपालिका द्वारा वैध रूप से नहीं दिया जा सकता है - भारत के संविधान में शक्तियों का व्यापक पृथक्करण है - न्यायपालिका के लिए विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करना उचित नहीं है - न्यायाधिकरण द्वारा की गई और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना का निर्माण पूरी तरह से कार्यपालिका का कार्य था - नियुक्ति के लिए एक योजना बनाने का निर्देश केवल

कार्यपालिका द्वारा दिया जा सकता है (और वह भी संविधान के अनुच्छेद 16 और अन्य प्रावधानों के अनुसार) - इसके अलावा, एक सहकारी समिति के कर्मचारी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया गया - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 16 - संवैधानिक कानून - शक्तियों का पृथक्करण।

सहकारी समितियाँः

सहकारी समितियों के कर्मचारी - अभिनिर्धारित: सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

भारत संघ व अन्य बनाम राम सिंह ठाकुर व अन्य, प्रभागीय प्रबंधक, अरावली गोफ्ट क्लब एवं अन्य बनाम चंदर हास व अन्य 2007 (12) एससीआर 1084, (2008) 1 एससीसी 683; और भारतीय संघ (रेलवे बोर्ड) एवं अन्य बनाम जे.वी. सुभैया व अन्य 1995 (6) पूरक एससीआर 812 = (1996) 2 एससीसी 258 - पर भरोसा किया।

वाद उद्धरण

2007 (12) एससीआर 1084 पैरा 6 पर भरोसा किया

1995 (6) पूरक एससीआर 812 पैरा 6 पर भरोसा किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या- 200/2007

(उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय व आदेश दिनांक 15.9.2003 में डबल्यूपी संख्या 6661, 6662, 6663 & 6664/2002 एवं दिनांक 21.11.2003 एमसीसी संख्या 3440/2003 में डबल्यूपीसी संख्या 6661/2002, एमसीसीडी संख्या 3368/2003 में डबल्यूपी संख्या 6663/2002 के में एवं एमसीसी संख्या 3439/2003 में डबल्यूपी संख्या 6664/2002)

के साथ

सी.ए. संख्या-1197/2007

अपीलकर्ताओं की ओर से: हरिन पी. रावल, एएसजी, वसीम क़ादरी, आनंदो मुखर्जी, हर्ष एन. पारेख, अनिरुद्ध शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, मुकेश वर्मा, श्वेता वर्मा, ज़ैद अली, श्रीकांत एन. टेरडाल, बी. कृष्णा प्रसाद

प्रतिवादीगण की ओर से: अक्षत श्रीवास्तव, पी. पी. सिंह, इंद्रजीत यादव, पार्थप्रतिम चौधरी, आदित्य शर्मा, के. एस. राणा

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

आदेश

सिविल अपील संख्या 200/2007

उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.09.2003 और दिनांक 21.11.2003 के आक्षेपित निर्णयों के विरुद्ध दायर की गई है।

तथ्य दिनांक 15.09.2003 के आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 30.05.2001 के आदेश में वर्णित किए गए हैं और इसलिए हम इसे यहां नहीं दोहरा रहे हैं।

प्रतिवादिगण रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड की एक सहकारी समिति के कर्मचारी थे। अपने आदेश दिनांक 30.05.2001 द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण) ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतिवादीगणों को शामिल करने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया है और इसी तरह अन्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों को नियमित समूह 'डी' पदों पर और वैकल्पिक रूप से रेलवे में आकस्मिक समूह 'डी' कर्मचारियों के रूप में भी रखा गया। इस निर्देश को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णयों में बरकरार रखा गया है।

हमारी राय में, प्राधिकरण का आदेश और साथ ही उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से अनुचित और अवैध थे। भारतीय संविधान में शक्ति का व्यापक पृथक्करण है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रभागीय प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब और अन्य बनाम चंदर हस और अन्य, (2008) 1 एससीसी 683 में अभिनिर्धारित किया है न्यायपालिका

के लिए विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करना उचित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित जैसी योजना का निर्माण पूरी तरह से कार्यपालिका का कार्य था, और न्यायपालिका द्वारा इसे वैध रूप से नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा, इस न्यायालय के निर्णय भारत संघ [रेलवे बोर्ड] व अन्य बनाम जे.वी. सुभैया एवं अन्य (1996) 2 एससीसी 258, में सहकारी समिति के कर्मचारी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। भारत संघ व अन्य बनाम राम सिंह ठाकुर व अन्य।

हमारी राय में, नियुक्ति के लिए योजना बनाने का निर्देश केवल कार्यपालिका द्वारा ही दिया जा सकता है (और वह भी संविधान के अनुच्छेद 16 और अन्य प्रावधानों के अनुसार)।

उपरोक्त तथाकथित बताए गए कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों के साथ-साथ प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। कोई हर्जा खर्चा नहीं।

सिविल अपील संख्या- 1197/2007

उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

यह अपील विशेष सिविल आवेदन संख्या 8536/2003 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.08.2005 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है।

तथ्यों को आक्षेपित निर्णय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 28.03.2002 के निर्णय में निर्धारित किया जा चुका है और इसलिए हम उन्हें यहां नहीं दोहरा रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण रेलवे स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा संचालित भोजनालय में काम कर रहे थे। वह भोजनालय रेलवे द्वारा नहीं बल्कि प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा स्वयं चलाया जाता था ताकि उन्हें उचित भोजन मिल सके। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण रेलवे कर्मचारी नहीं थे, लेकिन यह निर्देश दिया गया है कि उन्हें रेलवे सेवा में नियमित किया जाए।

हमारी राय में, सेवा में नियमितीकरण के संबंध में निर्देश पूरी तरह से कार्यपालिका का कार्य है और न्यायपालिका द्वारा ऐसा निर्देश वैध रूप से नहीं दिया जा सकता है।

परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ प्राधिकरण के निर्णय को भी रद्द किया जाता है। कोई हर्जा खर्चा नहीं।

आर.पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।